उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्याः8/2017/वे0आ0-2-550/दस-69(सामान्य)/2010 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 23 मई 2017

परिपत्र

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

2- समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के परिपत्र सं0-17/2015-वे0आ0-2-273/दस-69 (सामान्य)/2010 टी0सी0 दिनांक 09 अप्रैल 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन वित्त वेतनमान(नियमावली एवं विधि)प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन में विशेष कार्याधिकारी(विधि) वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 के रिक्त पद पर वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा ग्रेड वेतन रू0 6600 के पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों के जो विधि स्नातक सहित वेतनमानों से सम्बन्धित कार्यो का अनुभव/अर्हता रखते हो के अभ्यावेदनों को अपनी संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त परिपत्र दिनांक 09 अप्रैल 2015 के संदर्भ में मात्र दो प्रार्थना पत्र ही प्राप्त हुए है जिससे उक्त पद का चयन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित रह गया है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित ऐसे कार्मिक जो उक्त प्रकोष्ठ में निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित पद पर स्तम्भ-2 के अनुसार अर्हता रखते हो तथा सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक हो के अभ्यावेदन अपनी संस्तुति के साथ उनके सेवा विवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 10 जून 2017 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :--

पद संख्या/पदनाम/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन सादृश्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	तैनाती हेतु निर्धारित अर्हता
(1)	(2)
<u>एक पद</u> विशेष कार्याधिकारी(विधि) वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 के	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-10(रू056100-177500) अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-11(रू0 67700-208700)	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रू0 67700-208700) के पद पर कार्यरत कार्मिक जो विधि स्नातक सहित वेतनमानों से सम्बन्धित कार्यो का अनुभव प्राप्त हो।

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।